न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ
पीठासीनअधिकारी–श्री चावण्डदान चारण आरएएस
प्रकरण संख्या–डिक्री 440 सन 2016
पंजीयन दिनांक 28.11.2016

रतीराम पिता हरा रेबारी निवासी–रेबारियोकीढाणी
तहसील गंगरार ।

'अपीलांट

विरूद्व

1.बगता पुत्र हरा रेबारी ।
2.वरदा पिता हरा रेबारी दोनो नि.रेबारियोकीढाणी ।
3.राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर ।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उपखण्डअधिकारी भदेसर
प्रकरण संख्या 105/2012 निर्णय 14.10.2016

उपस्थित–श्री छोगालाल जाट–वकील अपीलांट
श्री पूरणमल स्वर्णकार–राज.अधि.

–0–

निर्णय दिनांक 4.2.2021

प्रकरण के तथ्य सक्षैपमें इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद उपखण्डअधिकारी भदेसर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कीधारा–53–209 के अन्तर्गत मौजा मानजीकागुढा की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या 67 की आराजी नम्बर 430/3मी.,431/1क,432/1,433/1,431/1क,432/1, 433/1 रकबा 10 बीघा के सबंध में प्रस्तुत किया जो उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 14.10.2016 को वादी का वाद डिक्री किया गया जिसके विरूद्व अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

वकील अपीलांट का कथन हैकि विवादग्रस्त आराजियात अपीलांट वादी एवं रेस्पोडेन्टगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमें अपीलांट वादी का 1/2 का 1/2 अर्थात 1/4 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2का 1/2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/2 हिस्सा निहित है इसी अनुसार मौके पर काबीज हो उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है जिसमें उक्त आराजियात का हक वहिस्से के अनुसार बंटवाडा करवाये जावें । एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने वादी के वादपत्र का समर्थन करते हुये हक व हिस्से के

अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड बंटवाडा कराये जाने हेतु सहमति प्रदान की । अंत में उन्होने अपील में अंकित समस्त तथ्यों को पुनः दोहराते हुये अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

वक्त बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व2 बावजूद सूचना अनुपास्थित रहे एवं राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराते हुये अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

मैने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी ओर पत्रावली का अवलोकनकिया गया ।अधीनस्थन्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर हे कि पत्रावी फर्द बटवाडा हेतु नियत थी परन्तु प्रकरण लोक अदालत में नियत किया जाकर अपीलांट की अनुपास्थित में बंटवाडा नही चाहने का पर्चा मौका प्रस्तुत कर अपीलांट वादी का वाद पत्र निरस्त कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्ती योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 14.10.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह फर्द बंटवाडा मंगवाया जाकर विधि संगत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 4.2.2021 को खूले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)